

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) वेगूं जिला धितौडगढ़ (राज.)
 प्रार्थना पत्र संख्या :- 39/2025 दिनांक 24/5/25

अनवान

सोहन लाल पिता गेवा घाफड तगरे

निवासी पाडावाण तगरे प्रार्थी / प्रार्थीगण
 यनाम

सोनी लाल पिता गान्दुनी घाफड तगरे

निवासी पाडावाण तगरे विपक्षी / विपक्षीगण

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बाबत पत्थरगढी करने:

न्यायालय में अधिवक्ता श्री अनिल राणा के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जॉच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जॉच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा पाडावाण पटवार हल्का मेडापुर की आराजी संख्या 19, 20, 23, 26, 303, 304, 305, 31, 32, 37..... कुल कीता-11..... कुल रकबा 4.0460 हे. कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा पाडावाण पटवार हल्का मेडापुर की आराजी संख्या 19, 20, 23, 26, 303, 304, 305, 31, 32, 37..... कुल कीता-11..... कुल रकबा 4.0640 हे. भूमि की पत्थरगढी हेतु सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 2500/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र
 कीता- (4)

उपखण्ड अधिकारी, वेगूं
 जिला धितौडगढ़ (राज.)

क्रमांक / संख्या / 2025 / 239

प्रार्थना पत्र संख्या 39/25 य अनवान सोहन लाल पिता गेवा घाफड तगरे प्रार्थीगण पत्र अध्या 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वारंते पालनार्थ दी जाती है।

दिनांक :- 25/5/25
 उपखण्ड अधिकारी, वेगूं
 जिला धितौडगढ़ (राज.)